संयुक्त परिवार (sanyukt parivaar) की विशेषताएँ

कुछ विद्वानों (जैसे इरावती कर्वे) ने संयुक्तता के लिए सह-निवास (co-residentiality) को आवश्यक माना है तो कुछ विद्वान (जैसे, बी.एस.कोहन, एस.सी.दुबे, हैरोल्ड गूल्ड, पालिन कोलेण्डा व आर.के.मुकर्जी) सह निवास और सह भोजन दोनों को संयुक्तता के आवश्यक तत्व मानते हैं।

परम्परागत (संयुक्त) परिवार (sanyukt parivaar) के कुछ प्रमुख लक्षण हैं:

1. **सत्तात्मक संरचना**
2. **पारिवारिक संगठन**
3. **आयु और संबंधों के आधार पर सदस्यों की परिस्थिति का निर्धारण**
4. **सन्तान तथा भ्रातृक संबंधों की दाम्पत्य संबंधों पर वरीयता**
5. **संयुक्त दायित्यों के आदर्श पर परिवार का कार्य संचालन**
6. **सभी सदस्यों के प्रति समान बर्ताव**
7. **वरिष्ठता के सिमदान्त के आधार पर सत्ता-निर्धारण**

1. सत्तात्मक संरचना

सत्तात्मकता का यहां अर्थ है कि निर्णय तथा निश्चय करने की शक्ति एक व्यक्ति में होती है जिसकी आज्ञा का पालन बिना चुनौती के

होना चाहिए। प्रजातंत्रीय परिवार में सत्ता जबकि एक या एक से अधिक लोगों में निहित होती है जिसका आधार दक्षता और योग्यता होता है, सत्तात्मक परिवार में परम्परा से सत्ता आयु एवं वरिष्ठता के आधार पर सबसे बड़े पुरुष के पास ही होती है।

परिवार का मुखिया अन्य सदस्यों को थोड़ी ही स्वतंत्रता प्रदान करता है और निर्णय करने में वह भले ही अन्य सदस्यों की राय जाने या न जाने, उसका निर्णय अन्तिम रुप से मान्य होता है। लेकिन जनतंत्रीय परिवार में मुखिया का कर्नव्य होता है कि वह अन्य सदस्यों की सलाह ले और कोई भी निर्णय करने से पूर्व उनकी राय को पूर्ण महत्व प्रदान करे।

2. **पारिवारिक संगठन**

इसका अर्थ है कि व्यक्ति के हितों का पूरे परिवार के हितों के सामने कम महत्व होता है, अर्थात् परिवार (sanyukt parivaar) के लक्ष्य ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, जैसे यदि बच्चा स्नातक परीक्षा उनीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा जारी रखना चाहता है परन्तु यदि उसे परिवार (sanyukt parivaar) के व्यापार को देखने के लिए दूकान पर बैठने को कहा जाय तो उसे परिवार के हितों के आगे अपने हितों की अनदेखी करनी होगी।

3. आयु और संबंधों के आधार पर सदस्यों की परिस्थिति का निर्धारण

परिवार के सदस्यों की परिस्थिति का निर्धारण उनकी आयु और संबंधों द्वारा निश्चित होता है। पति का पद पत्नी से उचा होता है। दो पीढ़ियों में उफंची पीढ़ी वाले व्यक्ति की परिस्थिति निम्न पीढ़ी के व्यक्ति की परिस्थिति से अधिक उफंची होती है। लेकिन उसी पीढ़ी में बड़ी आयु वाले व्यक्ति की परिस्थिति कम आयु वाले व्यक्ति की परिस्थिति से उफंची होती है। पत्नी की परिस्थिति उसके पति की परिस्थिति ने निश्चित होती है।

4. सन्तान तथा भ्रातृक संबंधों की दाम्पत्य संबंधों पर वरीयता

रक्त सम्बन्धों को वैवाहिक सम्बन्धों की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। दूसरे शब्दों में पति-पत्नि के सम्बन्ध, पिता-पुत्र या भाई-भाई सम्बन्धों की अपेक्षा निम्न माने जाते हैं।

5. संयुक्त दायित्यों के आदर्श पर परिवार का कार्य संचालन

परिवार संयुक्त परिवार (sanyukt parivaar) के उत्तरदायित्वों के आदर्शो के आधार पर कार्य करता है। यदि पिता अपनी पुत्री के विवाह के लिए ण्ण लेता है तो उसके पुत्रों का भी यह दायित्व हो जाता है कि वह उसकी वापसी का प्रयत्न करें।

6. सभी सदस्यों के प्रति समान बर्ताव

परिवार के सभी सदस्यों पर समान मयान दिया जाता है। यदि एक भाई के पुत्र को 4000 रुपये मासिक आय के साथ एक खर्चीले कन्वेन्ट स्कूल में प्रवेश दिलाया जाता है तो दूसरे भाईयों के (कम मासिक आय वाले) पुत्रें को इन्हीं सुविधाओं के साथ अच्छे स्कूल में पढ़ाया जायेगा।

7. वरिष्ठता के सिमदान्त के आधार पर सत्ता-निर्धारण

परिवार में (स्त्री-पुरुषों, पुरुषों-पुरुषों, स्त्रियों-स्त्रियों के) बी के सम्बन्धों का निर्धारण वरीयता क्रम के अनुसार निर्धारित होता है। यद्यपि सबसे बड़ी आयु का पुरुष (या स्त्री) किसी दूसरे को सत्ता सौंप सकते हैं, लेकिन यह भी वरीयता के सिमदान्त पर ही होगा जिससे व्यक्तिवाद की भावना विकसित न हो सके।